# उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
## (ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
ऊर्जा पार्क परिसर, इण्डस्ट्रियल एरिया, पटेल नगर, देहरादून

## <u>योग्यता, भर्ती प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी का विवरण।</u>

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा अभिकरण (उरेडा), ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार में परियोजना अधिकारी के सीधी भर्ती के रिक्त 06 पदों पर नियुक्ति के लिये योग्य भारतीय नागरिकों से निम्न विवरण अनुसार Online आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

| पद का नाम | वेतनमान | श्रेणी | रिक्त पद | क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | WO | Ex. | PH | DFF | Orphans of Uttarakhand | Others |
| परियोजना अधिकारी | 15600–39100 ग्रेड वेतन 5400 पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें वेतनमान के अनुसार) 56100–177500 (Level -10) | अ0जा0 | 02 | 01 | – | – | – | – | 01 |
| | | अ0ज0जा0 | 01 | 0 | – | – | – | – | 01 |
| | | अ0पि0व0 | 00 | 0 | – | – | – | – | 00 |
| | | आ0क0व0 | 00 | 0 | – | – | – | – | 00 |
| | | सामान्य | 03 | 01 | – | – | – | – | 02 |
| | | **योग** | **06** | **02** | – | – | – | – | **04** |

1. **उरेडा का गठन प्राधिकार**– उरेडा सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिकार अधिनियम–1860 एवं इसके संशोधनों के अन्तर्गत गठित एक सोसाईटी है, जो केन्द्र एवं राज्य वित्तीय सहायता से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत है। उरेडा के संगठनात्मक व्यय राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से वहन किए जाते हैं।
2. **पद का स्वरूप**– परियोजना अधिकारी का पद अराजपत्रित/स्थाई/ ई.पी.एफ पेंशनयुक्त है।
3. **<u>शैक्षिक अर्हता–</u>** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/मैकेनिकल/रिन्यूएबल इनर्जी (Renewable Energy)/इलैक्ट्रीकल/इलैक्ट्रानिक्स/Power Engineering/Power System Engineering अथवा ऐसी अभियांत्रिकी शाखाओं (Branches) जिनमें मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक्स शब्द सम्मिलित हों में अभियांत्रिकी डिग्री के उपरान्त तीन वर्ष का वांछित क्षेत्र का अनुभव।

   **अथवा**

   किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल/मैकेनिकल/रिन्यूएबल इनर्जी (Renewable Energy)/इलैक्ट्रीकल/इलैक्ट्रानिक्स/Power Engineering/Power System Engineering अथवा ऐसी अभियांत्रिकी शाखाओं (Branches) जिनमें मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रानिक्स शब्द सम्मिलित हों में त्रिवर्षीय डिप्लोमा के उपरान्त दस वर्ष का वांछित क्षेत्र का अनुभव।
4. **<u>आयु :–</u>** आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
   - ❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों तथा अक्षम/विकलांग व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।



11/2/21
CPO

5. **चयन प्रकि्रयाः–** अभ्यर्थियो का चयन लिखित परीक्षा एंव साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा। लिखित परीक्षा में चार खण्डों वाले तीन घण्टे की अवधि के विविध विकल्प, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न प्रश्नपत्र में शामिल होगें, जिसमें 50 प्रश्न उम्मीदवारों के सामान्य ज्ञान (General Aptitude), 50 प्रश्न अक्षय ऊर्जा से सम्बन्धित, 50 प्रश्न ऊर्जा संरक्षण से सम्बन्धित तथा 50 प्रश्न अभियॉत्रिकी से संबंधित विषयों के शामिल होगें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक होगा, निगेटिव मार्किग (¼) अंक की होगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न को हल न करनें /खाली छोडनें की स्थिति में कोई अंक नही दिया जायेगा। साक्षात्कार की पात्रता के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी को न्यूनतम 30% एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा की मैरिट के आधार पर प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों को 1:3 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार 25 अंक का होगा।

6. उम्मीदवार का अंतिम चयन लिखित परीक्षा (87.5% weightage) एवं साक्षात्कार (12.5% weightage), इस प्रकार 200 अंक की लिखित परीक्षा एवं 25 अंक साक्षात्कार के सापेक्ष अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मैरिट सूची के आधार पर किया जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि उसके बाद भी यह पाया जाता है कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर है तो ऐसी दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यार्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

7. **लिखित परीक्षा एंव साक्षात्कार की तिथिः–** लिखित परीक्षा एंव साक्षात्कार की सूचना अभ्यर्थी को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट एवं अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाईल नं0 पर SMS के माध्यम से प्रेषित की जायेगी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा एंव साक्षात्कार में भाग लेने के लिये किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।

8. **नियुक्तिः–** चयनित किये गये उम्मीदवार को प्रारम्भिक रूप से दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जायेगा परिवीक्षाकाल में परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया या संतोषजनक सेवा प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हो तो ऐसे मामले में उसका परिवीक्षाकाल पुनः बढाया जा सकता है।

9. चयनित अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में नियुक्त किया जा सकता है।

10. **इस नियुक्ति को** किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा इसके एवज़ में एक माह अथवा भाग के लिए वेतन भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकती है।

11. चयनित व्यक्ति को उसके वेतनमान के अनुसार देय वेतन के साथ–साथ उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर देय अन्य भत्ते भी अनुमन्य होगें।

[signature] 11/2/21
CPO

12. **राष्ट्रीयता :–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :– (क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो : परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले। परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

**टिप्पणी 1:–** ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

**टिप्पणी 2:–** किसी प्रकार का विवाद होने पर केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयता से सम्बन्धित आदेश/नियम प्रभावी होंगे।

13. **चरित्रः–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी।

14. **वैवाहिक प्रास्थितिः–** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. **शारीरिक स्वस्थताः–** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त–पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

11/2/21
CPO

16. **आरक्षण:–** ऊर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

17. आन लाईन आवेदन इस लिंक **http://www.ureda.uk.gov.in** अथवा **http://www.tscpantnagar.com** पर किया जायेगा, जिसमें आवेदन शुल्क की राशि भी Online gateway से जमा की जायेगी सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन की हार्ड कापी **"Coordinator** (Test & Selection), Lambert Square Guest House, GB Pant University of Agriculture & Technology (GBPUAT), Pantnagar- 263145, District U.S. Nagar, Uttarakhand", को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा किये गये शुल्क की रसीद के साथ प्रेषित करनी होगी।

18. आवेदन पत्र के साथ एक लिफाफे पर स्वंय एवं पत्राचार का पता अंकित करते हुए आवेदन पत्र के साथ रू0 50/– का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा संलग्न किया जायेगा।

19. आवेदन के साथ योग्यता/आयु/जाति/शैक्षिक योग्यता आदि समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियॉ लगाना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार किए जायेंगे।

20. ऑन लाईन आवेदन के समय आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य/अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रू0 300/– एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रू0 150/– की धनराशि जमा की जानी अनिवार्य होगी। फीस धनराशि की रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

21. उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें शासन द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) सेवा नियमावली–2019 हेतु जारी आदेश संख्या 267/I/2019/03/012/ 2017 दिनांक 20 फरवरी,2019 के अनुसार मान्य होंगी ।

22. किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विवाद की दशा में अंग्रेजी भाषा में की गई व्याख्या मान्य होगी।

23. किसी भी तरह के विवाद होने की दशा में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय मान्य होगा।

24. **कोविड–19 से संबंधित दिशा–निर्देष:–**

1) अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा स्थल पर फेस मास्क पहनना एवं सेनेटाईजर लेकर आना अनिवार्य है।
2) अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
3) अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की बोतल स्वयं लेकर आयें।
4) परिसर में अनावश्यक इधर–उधर विचरण नहीं करेंगे।
5) एक–दूसरे से छह फीट की दूरी का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगें।
6) खॉसते या छिंकते समय टीश्यू पेपर/रूमाल से मुंह और नाक को ढकें, टिश्यू पेपर को डस्टबिन में ही डालें।
7) परिसर में इधर–उधर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित है।



11/2/21

## सामान्य निर्देश

1. ऑन लाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 मार्च, 2021 (मध्यरात्रि) है।
2. अभ्यर्थियों को केवल एडमिट कार्ड/कॉल लेटर के साथ लिखित परीक्षा/व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति होगी, न कि पंजीकरण रसीद के साथ।
3. अभ्यर्थियों को भविष्य में सन्दर्भ के लिए आवेदन की भुगतान रसीद एवं उनके पंजीकरण रसीद को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
4. किसी भी कारण बताये एवं सन्दर्भ दिये बिना भर्ती प्रक्रिया को रद्द/रोकने/संशोधित करने का अधिकार उरेडा को सुरक्षित है।
5. सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में नियोजित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी को उस स्तर पर रद्द किया जा सकता है।
6. उपरोक्त पद के लिए आवेदन करते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विज्ञापन के अनुसार शैक्षिक, प्रोफेशनल योग्यता एवं वॉछित अनुभव सहित पात्रता को पूर्ण करता हो या ऊपर उल्लिखित अन्य मानदण्ड मामले में, यह भर्ती/चयन आर्थात लिखित परीक्षा/साक्षात्कार अभिलेखों के सत्यापन आदि के दौरान, किसी भी चरण में पता चलता है कि कोई अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता/मानदण्डों को पूरा नही करता है अथवा उसके द्वारा कोई गलत अभिलेख प्रस्तुत किये गये है या किसी भी तथ्य की सत्यता को छुपाया गया हो तो उक्त अभ्यर्थी का आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा। यदि उपर्युक्त कमियॉ में से कोई भी सूचना नियुक्ति के बाद भी पता लगती है, तो उसकी सेवा को बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है। पात्रता/मानदंडों की छूट के लिए कोई आवेदन पत्र उरेडा द्वारा स्वीकार नही किया जाएगा।
7. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि पंजीकरण करनें से पूर्व परीक्षा शुल्क और अन्य दस्तावेज भेजने से पहले निर्धारित योग्यता और अन्य विवरणों को ध्यान से देख लें।
8. यह सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी कि वह आवेदन करने से पहले पात्रता/मानदंडों को पूरा करता हों।
9. अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार आदि की तारीखों की जानकारी के लिए वेबसाइट **http://www.ureda.uk.gov.in** अथवा **http://www.tscpantnagar.com** को निरन्तर देखते रहें।
10. आरक्षित श्रेणी (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्ल्यू0एस0/डी0एफ0एफ0/ई0एक्स0एस0, शारीरिक रूप से विकलांग आदि) के अन्तर्गत किये जाने वाले आवेदन के उपरान्त अन्य श्रेणी के आरक्षण का कोई लाभ नही दिया जायेगा तथा चयन प्रक्रिया के दौरान भी किसी भी स्तर पर परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार्य नही होगा। आवेदन के समय प्रस्तुत की गई श्रेणी के अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान अन्य लाभ मान्य नही होगा। आरक्षित श्रेणी भरनें से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वास्तव में एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 (नॉनक्रीम लेयर)/ई0डब्लयू0एस आदि किस आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित है।



CPO 11/2/21

11. अभ्यर्थियों के साथ सभी पत्राचार केवल **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट एवं SMS** के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम/एडमिट कार्ड/साक्षात्कार कॉल लेटर आदि सम्बन्धित सभी जानकारी **http://www.ureda.uk.gov.in** अथवा **http://www.tscpantnagar.com** वेबसाइट पर उपलब्ध की जायेगी, तथा सम्बन्धित अभ्यर्थियों को SMS के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड की डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग अथवा किसी भी अन्य जानकारी के लिए स्वंय जिम्मेदार होगा, उरेडा अभ्यर्थी को भेजे जाने वाले SMS के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नही होगा, जो अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गई गलत मोबाईल नम्बर के कारण होगी अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने मोबाइल का उपयोग करनें में विफल रहने के कारण होगी।

12. परीक्षा केंन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नही किया जाएगा। यद्यपि उस क्षेत्र/केन्द्र के अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया पर किसी भी परीक्षा केन्द्र को जोड़ने अथवा रद्द करने का अधिकार उरेडा को सुरक्षित है।

13. बिना अपेक्षित दस्तावेजों अथवा गलत या अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

14. अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार के प्रलोभन दिये जाने अथवा दबाव का प्रयास किये जाने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

15. अभ्यर्थियों को उपरोक्त दर्शाये गये निर्धारित माप–दण्डों के अनुसार आवश्यक योग्यता को पूरा करना होगा जैसा कि ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि के समय दिखाया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद निर्धारित योग्यता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

16. पंजीकरण में विफलता, चयन परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपस्थित होने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करनें में विफलता आदि के मामले में उरेडा/गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

17. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रवेश पत्र, आवेदन पत्र प्राप्त करने या परीक्षा में उपस्थित होने पर संम्बन्धित पद पर चयन, नियुक्ति की गारंटी नहीं है। अभ्यर्थी का चयन योग्यता की स्थिति, उपलब्ध रिक्तियों, मूल दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों के सत्यापन, पुलिस सत्यापन रिर्पोट और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।

18. एक बार दिये गये मोबाइल नम्बर को किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियो द्वारा नही बदला जा सकता है। अभ्यर्थियों को सभी सूचनाऐं उनके द्वारा इंगित मोबाइल नम्बर पर SMS के द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से **http://www.ureda.uk.gov.in** अथवा **http://www.tscpantnagar.com** से वेबसाइट भर्ती प्रक्रिया की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहें।

19. किसी भी परिस्थिति में एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। तथा आवेदन शुल्क केवल ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य मोड जैसे पोस्टल ऑर्डर/पे आर्डर/डिमॉड ड्राफ्ट आदि के रूप में जमा आवेदन शुल्क स्वीकार नही किए जाऐंगे।



CPO 11/2/21

20. एक अभ्यर्थी द्वारा कई पंजीकरण के मामले में अंतिम पंजीकरण को ही भर्ती हेतु आवेदन पत्र के रूप में मान्य होगा।

21. परीक्षा हॉल/कक्ष के पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन न करने अथवा अव्यवस्था या अनुचित आचरण में लिप्त पाये जाने की दशा में परीक्षा हॉल से निष्कासन पर वह स्वयं उत्तरादायी होगा।

22. उत्तराखण्ड राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड के सरकार के वर्तमान आदेश के अनुसार आरक्षित पद के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देय होगी। परन्तु उत्तराखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न न होने की दशा में आरक्षण/आयु में छूट स्वीकार्य नही होगी।

23. सरकारी/अर्ध सरकारी विभाग में सेवारत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र देना होगा, जिसमें यह भी स्पष्ट रूप से इंगित होना आवश्यक है कि उनके खिलाफ कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक जॉच की कार्यवाही लम्बित नहीं है।

निदेशक
उरेडा।

11/2/21
C.P.O